



## गुवाहाटी में आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती और जू रोड स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय क्वार्टरों में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी स्टेशन रोड, पान बाजार, गुवाहाटी - 781001, क्रिश्चियन बस्ती, जीएस रोड, गुवाहाटी - 781005 और हटीगढ़ चरियाली, जेडएन रोड, गुवाहाटी - 781024 में स्थित आवासीय कॉलोनियों में निःशस्त्र निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य फर्मों/ठेकेदारों से 01 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए कोटेशन आमंत्रित करता है, जिसे बाद में एक बार में एक वर्ष, लेकिन दो बार से अधिक नहीं, की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

1	विभाग का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
2	ई-टेंडर नं.	RBI/Guwahati/HRMD/2/26-27/ET/130[Private Security Guards]
3	कार्यों का विवरण	गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति
4	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) <a href="https://www.mstcecommerce.com">https://www.mstcecommerce.com</a> के माध्यम से
5	अनुमानित लागत	₹1,26,00,000/- जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष
6	बयाना धन जमा	₹2,52,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में खाता संख्या - 8692299, आईएफएससी- RBISOGWPA01 में जमा किया जाना है। एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में आपका नाम/कंपनी का नाम/निविदा का नाम का उल्लेख करना है।]
7	उद्धृत दरों की वैधता	ई-टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन
8	निष्पादन की गारंटी	₹6,30,000/- (अनुमानित लागत का 5%)
9	प्रेस, बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी का प्रकाशन	03 जून, 2026 को 11:00 बजे
10	पार्टियों के देखने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तिथि	03 जून, 2026 से 12 जून, 2026 तक
11	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार, शुल्क एमएसटीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
12	बोली-पूर्व बैठक का समय	22 जून 2026 को 11:00 बजे स्थान - चौथी मंजिल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी

13	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	24 जून 2026
14	एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	03 जून 2026 को 11:00 बजे
15	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने हेतु ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	4 जुलाई 2026 को 17:00 बजे
16	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	04 जुलाई 2026 को 17:00 बजे तक
17	भाग I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	07 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे से
18	भाग II के खुलने की तिथि और समय यानी मूल्य बोली	उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि **04 जुलाई 2026 को 17:00 बजे तक है**। अधिक जानकारी के लिए, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" अनुभाग देखें।

निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी लिमिटेड (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 03 जून 2026

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

गुवाहाटी



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

गुवाहाटी में स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती और आवासीय क्वार्टर, जू रोड में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी ने 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/ठेकेदारों से बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और गुवाहाटी में इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्डों के लिए एंगेजिंग एजेंसी की ई-निविदा आमंत्रित की है।

काम की अनुमानित लागत	बयाना धन जमा
जीएसटी को छोड़कर ₹1,26,00,000/- प्रति वर्ष	₹2,52,000/-

ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि **04 जुलाई 2026 को 17:00 बजे तक** है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" अनुभाग देखें।

निविदा एमएसटीसी लिमिटेड (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे कोई परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 03 जून 2026

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
गुवाहाटी



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**अस्वीकरण**

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके संबंधित अधिकारियों में से कोई अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी, जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं या कोई भी अभ्यावेदन देते, व्यक्त या निहित नहीं करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का आशय नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली कार्यपद्धति या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी संविदा है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर कर निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हर समय गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

विषय-सूची

क्रम संख्या	उपाधि	पेज नं.
1	निविदा आमंत्रण सूचना	4-5
2	भाग I, खंड I: ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6-9
3	भाग I, खंड II: निविदा फॉर्म-भाग 1	10-11
4	भाग I, खंड III: निविदाकर्ताओं को निर्देश	12-16
	भाग I, खंड IV: तकनीकी बोली (भाग- I)	17-26
5	भाग I, खंड V: तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी	27-29
6	अनुलग्नक 1: निविदा के नियम और शर्तें	30-36
7	अनुलग्नक 2: सुरक्षा एजेंसी के कार्य का दायरा	37-38
8	अनुलग्नक 3: मूल्यांकन मानदंड	39-40
9	अनुलग्नक 4: बैंकर्स प्रमाणपत्र	41-42
10	अनुलग्नक 5: ग्राहक की रिपोर्ट	43
11	अनुलग्नक 6: पिछले सात (07) वर्षों के दौरान निष्पादित इसी तरह के कार्यों का विवरण	44
12	अनुलग्नक 7: निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	45-48
13	भाग II: वित्तीय बोली/मूल्य बोली	49-51



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

निविदा आमंत्रण सूचना

ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है

1	विभाग का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
2	ई-टेंडर नं.	RBI/Guwahati/HRMD/2/26-27/ET/130[Private Security Guards]
3	कार्यों का विवरण	गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति
4	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) <a href="https://www.mstcecommerce.com">https://www.mstcecommerce.com</a> के माध्यम से
5	अनुमानित लागत	₹1,26,00,000/- जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष
6	बयाना धन जमा	₹2,52,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [इसे एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के ज़रिए जमा किया जाना है। यह 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, गुवाहाटी' के पक्ष में और अकाउंट नंबर 8692299, IFSC – RBIS0GWPA01 में जमा किया जाना चाहिए। एनईएफटी ट्रांज़ैक्शन रिमाक्स में अपना नाम/ कंपनी का नाम/ टेंडर का नाम ज़रूर लिखें।]
7	उद्धृत दरों की वैधता	ई-टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन
8	निष्पादन की गारंटी	₹6,30,000/- (अनुमानित लागत का 5%)
9	प्रेस, बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी का प्रकाशन	03 जून 2026 को 11: 00 बजे
10	पार्टियों के देखने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	03 जून 2026 से 12 जून 2026 तक
11	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार, शुल्क एमएसटीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
12	प्री-बिड मीटिंग का शेड्यूल	22 जून 2026, 11: 00 बजे स्थान – चौथी मंजिल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
13	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	24 जून 2026



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

14	एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	03 जून 2026 को 11: 00 बजे
15	ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली	04 जुलाई 2026, 17: 00 बजे तक
16	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	04 जुलाई 2026, 17: 00 बजे तक
17	भाग I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	07 जुलाई 2026, 11:00 बजे से
18	भाग II यानी मूल्य बोली के खुलने की तिथि और समय	उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ता के पिछले निष्पादन पर उसके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निविदाओं के मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके / या उसके / उनके ग्राहकों से प्राप्त उनकी निष्पादन रिपोर्ट और/या उनके बैंकों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो आरबीआई उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

भाग I, खंड I

**ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश**

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए ई-निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

**1. ई-टेंडर की प्रक्रिया:**

(ए) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

**विशेष लेख:**

तकनीकी बोली [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।

- विक्रेताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → कॉमन पोर्टल → वेंडर लॉगिन → रजिस्टर → विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → जमा करना आवश्यक है।
- विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

**संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):**

एमएसटीसी तकनीकी सहायता डेस्क – 07969066600 (सिस्टम सेटिंग्स के लिए)

क्रम संख्या	व्यक्ति से संपर्क करें	ई-मेल	फोन नंबर।	तकनीकी सहायता
1	श्री प्रशांत चितरंजन, सप्र	<a href="mailto:ghyopn2@mstcindia.in">ghyopn2@mstcindia.in</a>	8592888286	0361-2221199
2	श्री देबायन कर, सप्र	<a href="mailto:ghyopn3@mstcindia.in">ghyopn3@mstcindia.in</a>	9831149790	
3	श्री श्रीराजन गुप्ता, एमटी	<a href="mailto:ghyopn1@mstcindia.in">ghyopn1@mstcindia.in</a>	9690044570	

**संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी):**

क्रम संख्या	व्यक्ति से संपर्क करें	ई-मेल	फोन नंबर।
1	श्री प्रांजल सरमा	<a href="mailto:pranjalsarma@rbi.org.in">pranjalsarma@rbi.org.in</a>	0361-2734470



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

2	श्री ऋषिकेश राभा	<a href="mailto:hrabha@rbi.org.in">hrabha@rbi.org.in</a>	
---	------------------	--	--

(बी) सिस्टम आवश्यकता:

- अ. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- आ. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट एक्सप्लोरर
- इ. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- ई. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है
- उ. "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट करने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू किया जा सकता है।
  - उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => यदि सक्षम हो तो संरक्षित मोड अक्षम करें - यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

(सी) अन्य सेटिंग्स:

- उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।
- सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और कस्टम स्तर → इंटरनेट विकल्प → उपकरण के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार <https://www.mstcecommerce.com> पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं)।

(डी) **बोलीदाताओं** को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले "विक्रेता गाइड" और "वीडियो गाइड" देखें।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

**2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:**

विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

3. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

4. निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी पोर्टल के साथ पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

5. ई-निविदा को निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

**6. ई-टेंडर में बोली:**

- a. विक्रेता(ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- b. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- c. जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → कॉमन पोर्टल → विक्रेता लॉगिन → मेरे मेनू → रजिस्टर → में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं → नीलामी फ्लोर मैनेजर लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन।
- d. विक्रेता जावा अनुप्रयोग चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- e. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार दोनों बोलियां सेव कर लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।
- f. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- g. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- h. पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- i. ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।
- j. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- k. क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना किसी कारण के हो।
- l. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर प्लोर में बोली जमा करने से निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- m. इस ई-टेंडर के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
- n. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख का विस्तार करने का अधिकार है।
- o. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के <https://www.mstcecommerce.com/eprochome> पेज में वीडियो देखें।
- p. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
- q. किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- r. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
- s. बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जप्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- t. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के [www.mstcecommerce.com/eprochome](http://www.mstcecommerce.com/eprochome) पृष्ठ में वीडियो देखें।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- c) **भाग I, खंड II**  
d) **निविदा का रूप-भाग 1**

(निजी सुरक्षा एजेंसी के लेटर हेड पर)

स्थान:

तिथि:

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
पान बाजार, गुवाहाटी

प्रिय महोदय,

**गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती और जू रोड पर आवासीय क्वार्टरों में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए निविदा**

उपर्युक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों, कार्य के दायरे और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, विनिर्देशों, और सभी मामलों के अनुरूप, निविदा की शर्तों, विशेष शर्तों, मात्रा की अनुसूची और संविदा की शर्तों में निर्दिष्ट लिखित निर्देशों के साथ और ऐसी सामग्रियों के साथ जो ऐसी शर्तों के अनुसार और अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

2. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम बयाना धन जमा (ईएमडी) और निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध है।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

4. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, राहत प्रभार, वर्दी और उसके भत्ते और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क जैसे अन्य सांविधिक प्रावधानों का पालन करेंगे। मैं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करूंगा और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं/हम बैंक की संतुष्टि के लिए मासिक आधार पर उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे।
5. मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं को उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।
6. मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
7. मैं/हम यह भी समझते हैं कि केवल आवेदन पत्र भरने से हम स्वचालित रूप से सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं हो जाते हैं। हम आरबीआई, गुवाहाटी के किसी भी या सभी आवेदनों (हमारे सहित) को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने के अधिकार से भी सहमत हैं।
8. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

### **ज्ञापन**

- (क) कार्य का विवरण: गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्ड सेवाएं प्रदान करना।  
(ख) अनुमानित लागत: जीएसटी को छोड़कर 1,26,00,000/-/- रुपये प्रति वर्ष।

हमारे बैंकर हैं:

- i)
- ii)

फर्म के साझेदार का नाम

\_\_\_\_\_ पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत

अथवा

संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना चाहिए)।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाह:

1. हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

2. Signature \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

पीएसए का हस्ताक्षर और पते की मुहर:



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- e) **भाग I, खंड III**  
f) **निविदाकर्ताओं को निर्देश**

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी खंड 1.1 में उल्लिखित पात्र निविदाकर्ताओं से दो भागों में [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) को ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पात्र निविदाकारों को भाग I (तकनीकी बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने के लिए।

**1.2 ई-निविदा दस्तावेज़:**

1.2.1 निविदा में दस्तावेज (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी शर्तें (सभी अनुभाग और अनुलग्नक) के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी की गई किसी भी अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि शामिल हैं। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रण सूचना [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) से डाउनलोड की जा सकती है

1.2.2 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। ई-निविदा जमा करने को सावधानीपूर्वक अध्ययन और ई-निविदा दस्तावेजों की जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

**1.3 निविदा दस्तावेज प्राप्त करना:**

निविदा आमंत्रित करने वाले ई-निविदा दस्तावेज/सूचना को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) से डाउनलोड किया जा सकता है।

**1.4 बोली-पूर्व बैठक**

भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने /संविदा के संबंध में निविदाकर्ताओं के पास स्पष्टीकरण प्रदान करने और उसी के संबंध में उन्हें प्रासंगिक जानकारी देने के लिए निविदा दस्तावेज की निविदा अनुसूची में उल्लिखित समय पर पूर्व-बोली बैठकें आयोजित करेगा।

**1.5 ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन**

1.5.1 बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा।

1.5.2 ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, बैंक, अपने विवेक से, बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

**1.6 निविदा तैयार करना**



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**1.6.1 भाग I/तकनीकी बोली**

(i) सभी अनुभाग और अनुपत्र तकनीकी बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नकों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(ii) निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में विनिदष्ट सभी ब्यौरे भरने होंगे और अपने पत्रक/आवश्यक दस्तावेज/सेवाओं का विवरणिका आदि संलग्न करना होगा।

(iii) ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगा।

(iv) निविदाकर्ताओं को पूर्व-योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा जैसा कि निविदा में कहा गया है, सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)

**1.6.2 भाग II/वित्तीय बोली:**

(i) **बोली की मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी जेब से या जुटाने का खर्च, उपकरण, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर,) श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं।

(ii) मूल्य अनुसूची के अनुरूप मूल्य को सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली न हो।

(iii) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) यदि मूल्य अनुसूची के कोई कॉलम खाली पाए जाते हैं तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो बैंक इस मामले में निविदा खंड के अनुसार समीक्षा भी कर सकता है।

**1.6.3** प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उन सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिनका संविदा के निष्पादन और सेवाओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण सेवाओं के वितरण की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

**1.7 बोलियों की वैधता की अवधि**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बोलियां 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**1.8 बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा:**

निविदाकर्ता खाता संख्या- 8692299, आईएफएससी - RBIS0GWPA01 में एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को 2,52,000/- रुपये ( दो लाख बावन हजार रुपये मात्र) का ईएमडी प्रदान करेगा। ईएमडी एनईएफटी के रूप में होगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

**1.8.1 ईएमडी के साथ नहीं होने वाली बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा, और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

1.8.2 असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को सफल बोलीदाता को काम सौंपने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छुट्टी/वापस कर दिया जाएगा।

**1.8.3 सफल बोलीदाता का ईएमडी निविदा की शर्त के अनुसार बिना ब्याज के निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के बाद बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।**

**1.9 ईएमडी को निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त कर लिया जाएगा:**

(i) यदि निविदाकर्ता/निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) ने प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन किए हैं, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही के विवरण को दबा दिया है जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था; अथवा

(ii) एक निविदाकर्ता ने भाग II/वित्तीय बोली के कॉलम को खाली छोड़ दिया या कई वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कीं, या

(iii) यदि कोई निविदाकर्ता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, या

(iv) निविदाकर्ता को किसी भी सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और काली सूची में डालना अभी भी लागू है।

(v) सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

(vi) सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी करने के बाद असफल बोलीदाताओं को 100% ईएमडी वापस कर दिया जाएगा;

(vii) निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने और कार्य आदेश जारी करने के बाद सफल बोलीदाता को 100% ईएमडी वापस कर दिया जाएगा;



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

(viii) कार्य के वास्तविक समापन के बाद 100% निष्पादन बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी और

(ix) दोष देयता अवधि की सफल समाप्ति के बाद 100% प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी।

### 1.10. निविदाओं का स्पष्टीकरण:

(क) निविदाकर्ताओं की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और अर्हता में सहायता करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है और प्रतिक्रिया के लिए उचित समय दे सकता है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो आरबीआई के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई का अनुरोध और जवाब लिखित में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा की कीमत और पदार्थ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पेशकश की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी

(ख) यदि कोई निविदाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्टीकरण अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

### 1.11 बोलियां जमा करने की प्रक्रिया

इस निविदा के लिए दो-भाग प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है। जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### 1.11.1 तकनीकी बोली/भाग I में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं

(क) भाग-I/तकनीकी बोली (सभी खंड और अनुलग्नक)। कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग I/तकनीकी बोली में इंगित नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) को प्रस्तुत की जा सकती है।

(ख) पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

(ग) ईएमडी का भुगतान ब्यौरा तकनीकी बोली के भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा।

#### 1.11.2 भाग II/वित्तीय बोली

भाग II /वित्तीय बोली "(भाग II/वित्तीय बोली और 1.1 के खंड में उल्लिखित कार्य का नाम)" [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) को प्रस्तुत किया जा सकता है



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

1.12 कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्घरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.13 निविदाकारों को बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**1.14 ई-निविदाओं की प्राप्ति**

ई-निविदा बोलियां निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी जैसा कि निविदा की अनुसूची में निर्दिष्ट है। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

**1.15 भाग I का उद्घाटन**

तकनीकी बोलियां मानव संसाधन प्रबंध विभाग, आरबीआई गुवाहाटी में निविदा की अनुसूची में उल्लिखित निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी।

**1.16 भाग I की जांच**

1.16.1 भाग I का मूल्यांकन संविदा की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

1.16.2 भाग I के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकर्ताओं को सभी ई-निविदाकर्ताओं को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

**1.17 भाग II /वित्तीय बोली का उद्घाटन**

शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों का भाग II बाद में खोला जाएगा, और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

**1.18 भाग II की जांच**

भाग II की जांच की जाएगी और दो से अधिक तकनीकी रूप से पात्र विक्रेताओं की मूल्य बोली के समान होने की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स (जैसा कि अनुलग्नक - 3 में दर्शाया गया है) को ठेका देने के लिए विचार किया जाएगा।

1.19 बैंक को आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय मात्रा में बदलाव करने का अधिकार है।

**1.20 किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार**



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। बैंक किसी भी बोली को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

1.20.1 बैंक निम्नलिखित के कारण संविदा के आबंटन से पहले किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को रद्द करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

(क) यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।

(ख) किसी भी घटना की घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

(ग) निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित सांठगांठ/शरारत, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर करने का साक्ष्य, कोई अन्य कारण, जिसके कारण बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो जाता है।

(घ) ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, बैंक सभी निविदाकर्ताओं को ऐसे निर्णय के 7 दिनों या किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। बैंक इस खाते पर किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत बैंक का दायित्व बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ङ) बैंक प्रक्रिया को पुनः निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (क) से (घ) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।

(च) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों के निर्धारण को हतोत्साहित करता है।

स्थान: (मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक: (नाम)



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**g) भाग I, खंड IV**  
**तकनीकी बोली (भाग- I)**

**गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और इसकी अन्य संपत्तियों पर निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए फर्मों/कंपनियों/पीएसए/प्रतिष्ठित संस्थाओं की नियुक्ति**

**सामान्य निर्देश**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए संविदा के आधार पर सुरक्षा गार्ड प्रदान करने में लगी प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों/पीएसए से निविदाएं आमंत्रित करता है। यह संविदा शुरू में 01 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए)/फर्म को दिया जाएगा। तथापि, संविदा का नवीकरण दो और वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि तैनात कर्मचारियों का संतोषजनक निष्पादन हो और संबंधित एजेंसी/फर्म/कंपनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों का अनुपालन किया जाए।

2. बैंक की आवासीय कॉलोनियों/कार्यालय में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों की अनुमानित संख्या इस प्रकार होगी:

i. सुरक्षा गार्ड: 30 (2 महिला सुरक्षा गार्डों सहित) @ सप्ताह के सभी सात दिनों में प्रति शिफ्ट 8 घंटे की ड्यूटी। बैंक के पास काम देने से पहले या संविदा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

**3. निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें (पूर्व-योग्यता मानदंड)**

निविदाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए और इसका समर्थन करने के लिए दस्तावेज जमा करने चाहिए। पीएसए निविदा आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे और पीएसए इनमें से किसी भी मानदंड के अनुरूप नहीं होंगे, जो पैनल या शॉर्टलिस्टिंग के लिए योग्य नहीं होंगे:

(a). पीएसए को सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियां होनी चाहिए।

(b) अखिल भारतीय उपस्थिति (असम राज्य को छोड़कर) के साथ प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग वैध पीएसएआरए लाइसेंस होना चाहिए और गुवाहाटी में अपना कार्यालय/शाखा होनी चाहिए।

(c) पीएसए को 31 मार्च 2026 तक कम से कम 07 वर्षों के लिए लगातार (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए) व्यवसाय में होना चाहिए। एजेंसी को अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पिछले सात वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाया गया हो। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य के शुरू होने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, जैसे विवरण शामिल होंगे। एजेंसी को सात साल के



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां जैसे निगमन प्रमाण पत्र, आईटी रिटर्न, पैन कार्ड, आदि संलग्न की जानी चाहिए।

(d) संविदा की अनुमानित लागत जीएसटी को छोड़कर लगभग 1,26,00,000/- प्रति वर्ष है। एजेंसी को पिछले सात वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):

- i. तीन समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत 50.40 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं है या
- ii. दो समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत 63.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं है या
- iii. इसी समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिसकी लागत प्रति वर्ष 100.80 लाख रुपये से कम नहीं है

(e) पीएसए में सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। सुरक्षा गार्डों को पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

(f) पीएसए के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षी बुनियादी ढांचा और नेटवर्क होना चाहिए।

(g) पीएसए के पास पूरे असम राज्य के लिए वैध "निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005" लाइसेंस होना चाहिए। संविदा की अवधि के दौरान लाइसेंस वैध रहना चाहिए और समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

(h) पीएसए को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

(i) पीएसए को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन प्रस्तुत करना चाहिए।

(j) 31 मार्च, 2026 को पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर रिटर्न और पैन कार्ड की प्रति।

(k) पिछले 3 वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएसए का वार्षिक वित्तीय कारोबार प्रत्येक 1,26,00,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षित बैलेंस शीट द्वारा समर्थित।

(l) दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(m) ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।

(n) ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (नवीनतम) के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र।

(o) संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- (p) जीएसटी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- (q) मौजूदा प्रमुख नियोक्ताओं से निष्पादन प्रतिक्रिया।
- (r) पीएसए को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अन्य श्रम कानूनों और केंद्रीय नियमों का पालन करना चाहिए।
- (s) पीएसए का गुवाहाटी में टेलीफोन और फैक्स के साथ एक कार्यालय होना चाहिए और गुवाहाटी में 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए।
- (t) कम से कम तीन सरकारी संस्थाओं/निकायों/प्रतिष्ठानों (आवासीय परिसरों सहित) या प्रतिष्ठित संस्थानों (संलग्न किए जाने वाले कार्य आदेशों में) में मौजूदा तैनाती का अनुभव। पीएसए को तीन संदर्भ स्थल प्रस्तुत करने चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर रेफरी को भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए पीएसए के निष्पादन के बारे में गवाही देनी चाहिए।
- (u) पीएसए के पास कम से कम 100 सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। तैनात सुरक्षा गार्डों की संख्या दशानि वाली सुरक्षा सेवाओं के लिए वैध कार्य आदेश संलग्न किए जाने चाहिए।
- (v) PSA को विशेष रूप से ₹1,26,00,000/- की राशि के लिए काम के उद्देश्य से अपने बैंकर से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की जारी की गई तिथि 20 दिसंबर, 2025 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- (w) डब्ल्यू. पीएसए के पास आईएसओ 9001-2008 या एसए 8000 या ओएचएसएस 1800 प्रमाणन में से कोई एक होना चाहिए।
- (x) निविदा फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में चालू खाता होना चाहिए और उन्हें यह वचन देना चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईएफटी/आरटीजीएस/ईसीएस) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
- (y) पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान अर्हता मानदंडों के संबंध में पीएसए की स्वीकार्यता को अंतिम रूप देना आवश्यक है, बैंक अपने विवेक पर बोली लगाने वाले से स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण का अनुरोध लिखित में दिया जाएगा, जिसमें पीएसए से एक निर्दिष्ट तिथि तक जवाब देने के लिए कहा जाएगा, और इसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा कि, यदि पीएसए अनुपालन नहीं करता है या तिथि तक जवाब नहीं देता है, तो उसका निविदा अस्वीकार किया जा सकता है। परिणाम के आधार पर, ऐसे निविदाओं को नजरअंदाज किया जाना है या आगे विचार किया जाना है। निविदा के मूल्य या विशिष्टताओं सहित पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा, पेश या अनुमति नहीं दी जाएगी। बोली लगाने वाले की पहल पर बोली के बाद कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कमी की जानकारी/दस्तावेज केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के मामले में मांगे जाने चाहिए जो निविदा खुलने के समय पहले से मौजूद थे और जिनमें तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां तक योग्यता मानदंडों के संबंध में दस्तावेजों की प्रस्तुति का संबंध है, निविदा जमा करने के बाद, केवल



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

संबंधित कमी दस्तावेजों के लिए कहा जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बोलीदाता ने अपने पूर्ण/प्रदर्शन प्रमाण पत्र के बिना एक अनुबंध प्रस्तुत किया है, तो प्रमाण पत्र के लिए पूछा जा सकता है और विचार किया जा सकता है। हालांकि, बोली लगाने वाले को योग्य बनाने के लिए कोई नया अनुबंध नहीं मांगा जाना चाहिए। अर्हता प्राप्त पीएसए की शॉर्टलिस्टिंग का अभ्यास पूरा करने के बाद, अस्वीकृत पीएसए को अस्वीकृति की सूचना लिखित में दी जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, पीएसए को अपनी प्रोफाइल के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उपरोक्त सभी पंजीकरण और प्रमाणपत्र केवल कंपनी के नाम पर होने चाहिए।

**4. कार्य का दायरा:** कृपया अनुलग्नक 2 देखें।

5. इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो **क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पान बाजार, गुवाहाटी-781001** को संबोधित है, जिसमें संगठन, अनुभव, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं, स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क, प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन, वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का पालन के बारे में विवरण प्रस्तुत करना होगा। और क्षमता। इस प्रकार प्रस्तुत की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

6. अनुलग्नक -4 के अनुसार बैंकर के प्रमाण पत्र का एक प्रारूप और अनुलग्नक-5 के अनुसार ग्राहक के प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। आवेदक को अपने आधिकारिक सीलबंद लिफाफे में कम से कम तीन ग्राहकों से 'ग्राहक प्रमाणपत्र' जमा करना होगा। इसी तरह, आवेदक बैंक के सीलबंद लिफाफे में अपने बैंकर/बैंकरों से 'बैंकर्स सर्टिफिकेट' जमा कर सकते हैं।

7. यदि आवेदन पत्र में स्थान पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त है, तो ऐसी जानकारी को विधिवत हस्ताक्षरित कागज की एक अलग शीट पर पूरक किया जा सकता है।

8. झूठी या अपर्याप्त जानकारी वाला आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

9. केवल उन्हीं कंपनियों/फर्मों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली को अर्हता प्राप्त करती हैं।

10. बैंक किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**11. स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, उप महाप्रबंधक (एचआरएमडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पान बाजार, गुवाहाटी-781001 से प्राप्त किया जा सकता है।**

**12. सुरक्षा गार्डों के लिए पात्रता मानदंड**

गार्डों को निम्नलिखित मानदंडों की पुष्टि करनी चाहिए: -



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- i) प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को सत्यापित किया जाना चाहिए, और उनके पूर्ववृत्त की जांच (पुलिस सत्यापन) की जानी चाहिए। एजेंसी गार्डों की तैनाती से पहले जांच रिपोर्ट सौंपेगी।
- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संविदा के दौरान पीएसए द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड किसी अन्य संगठन में काम नहीं करेंगे या संविदा की अवधि के दौरान पीएसए द्वारा किसी अन्य संगठन में तैनात नहीं किए जाएंगे। यदि करार की अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला ध्यान में आता है, तो बैंक को पीएसए पर उपयुक्त जुर्माना लगाने का अधिकार होगा, जो उसके मासिक बिल या सुरक्षा जमा या पीएसए के किसी अन्य बकाया से वसूल किया जाएगा।
- iii) गार्डों के लिए, पीएसए 21 से 45 वर्ष की आयु के भीतर, पूर्व सैनिकों के मामले में 50 वर्ष की आयु के भीतर अच्छे स्वास्थ्य वाले अच्छे और प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करेगा और न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास तथा हिंदी/असमिया और अंग्रेजी का अच्छा कामकाजी ज्ञान होना चाहिए।
- iv) यदि इस प्रकार प्रदान किया गया कोई भी गार्ड बैंक द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो बैंक को बिना कोई कारण बताए उसके प्रतिस्थापन के लिए पूछने का अधिकार होगा। यह सुनिश्चित करना पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि हर समय स्वीकृत संख्या बनाए रखी जाए और सुरक्षा सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।
- v) पीएसए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मचारी, बैंक के परिसर में या अपने दायित्वों को पूरा करते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और बैंक एकमात्र निर्णायक होगा कि ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं।

### 13. वेतन संरचना

- (i) निजी सुरक्षा गार्डों का वेतन ढांचा क्षेत्र ख के लिए सुरक्षा गार्डों के लिए निगरानी और वार्ड (बिना हथियारों के) के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम सिफारिश के अनुसार होगा।
- (ii) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क कुल जनशक्ति प्रभार के 3 % के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। सेवा शुल्क में बीमा शुल्क (कामगार मुआवजा नीति और तृतीय-पक्ष-देयता नीति), समान शुल्क, उपकरणों की लागत, कार्य संविदा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी और कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य, केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है यदि लागू हो लेकिन जीएसटी को छोड़कर। बिलों के निपटान के समय जीएसटी का भुगतान इसकी प्रयोज्यता के अनुसार किया जाएगा। कुल जनशक्ति प्रभार के 3 प्रतिशत से कम सेवा प्रभार का बोली लगाने वाले बोलीदाताओं की निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
- (iii) यदि पीएसए समय पर बीमा पॉलिसियों को लेने/नवीनीकृत करने में विफल रहता है, तो बैंक पीएसए को लिखित नोटिस के तहत इसके लिए व्यवस्था करेगा और पीएसए को देय बीमा प्रीमियम की वसूली करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की संपत्ति बीमा कवर के बिना न रहे।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

(iv) वित्तीय बोली में उद्धृत सेवा शुल्क अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में अनुबंध की अवधि के दौरान सेवा शुल्क के संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

(v) ठेकेदार का लाभ: निविदाकर्ताओं को कुल जनशक्ति शुल्क के 15% पर अपना लाभ प्रतिशत उद्धृत करने की अनुमति है।

(vi) इस पर भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं और सभी वैधानिक देय राशि/कर आदि की कटौती के बाद।

(vii) जिन निविदाओं में 'कोटेड दरें' केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी से कम हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### 14. ऑफर की वैधता

आवेदन आवेदन खोलने की तारीख से कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव को खुला रखेगा, जिसके भीतर पीएसए अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता है, जिसमें समय-समय पर आपसी करार द्वारा अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

#### 15. पीएसए और बैंक के बीच करार

सफल पीएसए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार, उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर डुप्लीकेट में एक करार को निष्पादित करेगा, और सभी खर्च पीएसए द्वारा देय होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक और संबंधित पीएसए दोनों द्वारा किए जाने वाले करार की एक-एक प्रति जारी की जाएगी।

#### 16. निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं

बैंक इस नोटिस के जवाब में प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

#### 17. भुगतान की शर्तें

(i) पीएसए को अग्रिम रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पीएसए द्वारा बनाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला मासिक भुगतान और अगले महीने के सात कार्य दिवसों के भीतर प्रत्येक कैलेंडर महीने की समाप्ति के बाद आरबीआई को प्रस्तुत किया जाता है। पीएसए को बिल जमा करने से पहले सुरक्षा गार्डों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और बिलों के साथ बैंक स्टेटमेंट आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। सभी सुरक्षा कामकों के लिए एक बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसमें उनका वेतन पीएसए द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

(ii) सुरक्षा गार्ड बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाएंगे और पीएसए द्वारा इस प्रकार प्रदान किए गए गार्ड स्वयं को बैंक के कर्मचारी के रूप में दावा नहीं करेंगे और पीएसए द्वारा प्रदान किए गए बैंक और गार्डों के



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। निम्नलिखित विवरण के अनुसार तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कामकों की संख्या और भुगतान सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।

(iii) पीएसए भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न संपत्तियों और मुख्य कार्यालय परिसरों में उनके द्वारा तैनात गार्डों को मासिक वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्तों का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक किसी भी कारण से किसी भी अतिरिक्त शुल्क/भुगतान का भुगतान नहीं करेगा, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी/छुट्टी/अवकाश आदि शामिल हैं।

(iv) किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति की स्थिति में, ठेकेदार/या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

(v) पीएसए को भुगतान के पूर्ण ब्यौरे को दर्शाते हुए लिखित/ई-मेल में बिल भुगतान की प्राप्ति को स्वीकार करना चाहिए।

**18. ब्याजरहित सुरक्षा जमा**

i. पीएसए संविदा की अवधि से दो महीने अतिरिक्त वैधता के साथ, संविदा के संदर्भ में निविदा राशि के 5 प्रतिशत की ब्याज मुक्त निष्पादन बैंक गारंटी जमा करेगा। यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में प्रतिभूति जमा के रूप में होगी। संविदा की अवधि पूरी होने के तीन महीने के भीतर सुरक्षा जमा राशि केवल संविदा के सफल समापन और एजेंसी या उसके कर्मचारियों से कोई दायित्व नहीं होने से संतुष्ट होने के बाद जारी की जाएगी। देयता के मामले में सभी बकायाओं, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

ii. इस प्रकार गणना की गई बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करने से पहले जमा की जाएगी। एजेंसी सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज के भुगतान की हकदार नहीं होगी। सुरक्षा जमा समायोजन के अधीन वापसी योग्य होगी। आरबीआई एजेंसी या एजेंसी द्वारा तैनात गार्डों द्वारा किए गए किसी भी नुकसान, चोरी, क्षति, वेतन का भुगतान न करने आदि के लिए सुरक्षा जमा के किसी भी हिस्से या पूरी राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या एजेंसी और/या एजेंसी द्वारा तैनात गार्डों की लापरवाही करार में एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करती है। परिसमापन/दिवालिया होने आदि के कारण एजेंसी को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस तरह के नुकसान, क्षति, प्रभार या लागत के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

19. पीएसए अपने सुरक्षा कर्मचारियों को प्रभारी अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी के रूप में घोषित या आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से उनकी तैनाती से पहले उनके सत्यापन और संतुष्टि के लिए बैंक द्वारा करार के संचालन के लिए पेश करेगा और पीएसए सुरक्षा कर्मियों के पूर्ण विवरण/बायोडाटा को पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो के साथ तैनात करने से पहले विधिवत सत्यापित करेगा। आरबीआई की संपत्तियों पर तैनात किए जाने वाले



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

पीएसए के सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड की प्रतियां अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहले से जमा की जानी चाहिए।

20. पीबीजी जमा करने में देरी होने की स्थिति में, देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर पीएसए के बिलों से वसूला जाएगा।

21. बैंक पीएसए को अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से या संदिग्ध चरित्र के किसी भी गार्ड को हटाने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है और वह तुरंत ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को हटा देगा और प्रतिस्थापन प्रदान करेगा।

22. बैंक पीएसए द्वारा तैनात कर्मियों के लिए बैंक के परिसर में या कहीं और कोई आवासीय आवास प्रदान नहीं करेगा।

23. पीएसए द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य बिंदु और प्रतिधारण का निर्णय बैंक द्वारा अपने प्रभारी अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा और पीएसए को ऐसे निर्देश का पालन करना होगा।

24. किसी भी चोरी, क्षति या चोरी के मामले में, पीएसए या उनके प्रतिनिधि तुरंत बैंक के अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करेंगे और एफआईआर दर्ज करने/उचित जांच करने और नुकसान की वसूली के लिए मामले को पुलिस के साथ उठाएगा। पीएसए चोरी, चोरी आदि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और अपने सुरक्षा गार्डों द्वारा लापरवाही, अनुपस्थिति या कर्तव्य की लापरवाही से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा।

25. यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सुरक्षा गार्डों द्वारा कोई अनुपस्थिति नहीं होगी और अनुपस्थिति के मामले में, यदि कोई गार्ड पीएसए द्वारा प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है, दो घंटे के भीतर अपने कर्तव्य में शामिल होने में असमर्थ है, तो ऐसा करने में विफल रहने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और पीएसए के मासिक बिलों से उपयुक्त कटौती की जाएगी। इस तरह के प्रतिस्थापन गार्ड भी मानकों को पूरा करने के अधीन होंगे।

## **26. परिसमापन क्षति और समाप्ति**

करार में किसी भी/या अधिक शर्तों के उल्लंघन के मामले में (कृपया अनुलग्नक 1 देखें) और/या पीएसए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं (जनशक्ति को बनाए नहीं रखना, ऊयूटी पर सतर्क नहीं पाया जाना, अनुशासनहीनता और अनुचित वर्दी/मतदान आदि) करार की किसी भी अवधि के दौरान, कुल मासिक बिल के न्यूनतम 10% के अधीन राशि को केवल एक महीने के लिए परिसमापन क्षति के रूप में काटा जाएगा और यदि बाद के किसी भी महीने में निष्पादन असंतोषजनक बना हुआ है, पीएसए की सेवाओं को अनिवार्यताओं के आधार पर सात दिनों या 48 घंटे की छोटी सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है और उन्हें भविष्य के पैनेल में भाग लेने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**27. अन्य नियम और शर्तें (एजेंसी/ठेकेदार के लिए)**

i. बैंक का काम करते समय सुरक्षा गार्डों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के खिलाफ आवश्यक बीमा कवर लें। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार की अवधि के दौरान बीमा कवर को जीवित रखा जाए। ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को बीमा कवर (संपूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध) की एक प्रति प्रदान करेगा।

ii. सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. पीएसए सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पेट्रोल के साथ पिछले महीने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए मासिक बिल डुप्लीकेट में प्रस्तुत करेगा और बैंक आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार आयकर की कटौती के बाद और समय-समय पर संशोधित किए गए किसी भी अन्य करों को भी शामिल करने के बाद भुगतान करेगा।

iv. एजेंसी/ठेकेदार को उस कार्य को सौंपने से पहले लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है, जो वह वास्तव में उस विशेष कार्य/कार्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा लगाए जाने वाले सभी विवरणों के सभी सुरक्षा गार्डों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए करता है, जो सीएलआरए अधिनियम के तहत केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है और प्रधान नियोक्ता को भी क्षतिपूर्ति प्रदान करता है ऐसी मजदूरी का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जाने वाली सभी कार्रवाइयां।

v. ठेकेदार को सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, गुवाहाटी के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रदान किया गया है, जिसे धारा 21 के साथ पठित संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 और उपरोक्त अधिनियम या किसी अन्य कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा, ऐसा न करने पर वह अकेले ही कार्य/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

vi. पीएसए अपने सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश देगा और उनके स्थान पर एक राहत प्रदान करेगा। पीएसए को महीने में कम से कम एक बार देर रात (12.00 बजे से 4.00 बजे के बीच) के दौरान और दिन के समय एक बार औचक निरीक्षण करना होता है ताकि वे खुद को देख सकें कि उनके गार्ड ईमानदारी और उचित तरीके से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और आरबीआई द्वारा पहचाने गए अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दोहरे शुल्क की अनुमति नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि सुरक्षा गार्ड दोहरी ड्यूटी कर रहे हैं, तो पीएसए पर प्रति अवसर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

vii. करार की अवधि शुरू में 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगी, जिसे पीएसए के संतोषजनक निष्पादन और बैंक की आवश्यकता के अधीन दो साल (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

viii. आवेदन की स्वीकृति का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पास होगा, जो किसी विशेष आवेदन/आवेदनों पर विचार करने से इनकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है या किसी विशेष आवेदन/आवेदनों पर विचार करने से इनकार करने के कारणों को निर्दिष्ट करने का वचन नहीं देता है।

ix. करार की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में इसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा निपटाया जाएगा।

x. पीएसए को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में वर्णित कार्यों की पूर्ण सेवाओं के लिए दरें तैयार करने से पहले कार्य स्थल का दौरा करें और कार्य के निष्पादन में शामिल वास्तविक स्थितियों और कठिनाइयों को देखें।

xi. यदि प्रदान किया जाता है, तो ठेकेदार संविदा नहीं देगा। वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है।

xii. निविदाकर्ता को दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्रों का उपयोग करना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी जोड़/परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य माना जाएगा।

xiii. ठेकेदार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार केवल इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।

xiv. पीएसए सभी श्रम कानूनों या विनियमों जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी देयता अधिनियम, 1933, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1920, मातृत्व लाभ अधिनियम, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, 1961 में संशोधन किया गया है और उनमें से प्रत्येक को यथासंशोधित और यथालागू तिथि पर लागू किया गया है। ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या उसके किसी भी संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून जो इसके तहत कार्यों के निष्पादन पर असर डालता है और समय-समय पर उसके तहत नियम बनाता है, पीएसए दायित्व लेता है और इसके द्वारा सहमत होता है और ऐसे कानूनों के आवेदन या उल्लंघन के कारण बैंक को हर खर्च, देयता या भुगतान से क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने का वचन देता है, नियम या विनियम मौजूदा या करार की अवधि के दौरान भविष्य की तारीख में पेश किए जाने वाले हैं।

xv. ठेकेदार को अगले महीने के लिए बिल जमा करने से पहले आरबीआई, गुवाहाटी में तैनात व्यक्तियों के लिए ईएसआई और ईपीएफ योगदान की राशि जमा करने का प्रमाण उनके संबंधित नाम पर प्रस्तुत करना होगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

xvi. ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जाएंगी और यह ठेकेदार की किसी भी अप्रिय घटना के प्रति एकमात्र जिम्मेदारी होगी यानी अपने कर्मचारियों को मुआवजा आदि।

xvii. यह पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को नेम प्लेट/पहचान पत्र के साथ पूर्ण वर्दी (गर्मी और सर्दी दोनों) प्रदान करे। ड्यूटी के दौरान निजी सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र प्रदर्शित किए जाएंगे।

xviii. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक सेवाएं जैसे मशाल, लाठी, सीटी, जूते/बरसात के जूते, रेनकोट, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था आदि पीएसए द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर प्रदान की जाएंगी।

## **28. संविदा का आबंटन**

1) बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों की पूर्ति के अनुसार सफल मूल्यांकन किए गए बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा। सफल विक्रेता काम सौंपने के 14 दिनों के भीतर कम से कम ₹5,000/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। स्टॉप शुल्क का भुगतान सफल विक्रेता द्वारा किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।

2) बैंक "प्रस्ताव पत्र" के माध्यम से निर्णय की सूचना देगा।

3) सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र जारी होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर एक संविदा निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

4) सफल बोलीदाता को क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, गुवाहाटी के पक्ष में अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि के लिए "लेटर ऑफ ऑफर" प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

5) अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने या निर्धारित समय के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए सफल विक्रेता की विफलता आबंटन को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे विक्रेता को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार बनाएगी।

6) निष्पादन बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। संविदा की अवधि पूरी होने के साठ (60) दिनों के बाद पीबीजी को संविदा के सफल समापन और सफल विक्रेता या उसके कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होने के बाद ही बिना ब्याज के जारी किया जाएगा। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा और सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही इसका निर्वहन किया जाएगा।

7) यदि संविदा की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- 8) सफल बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में पर्यवेक्षक सहित कर्मियों की संख्या का उल्लेख करेगा, जो कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है।
- 9) सफल बोलीदाता सफाई उपकरणों, प्रमुख उपकरणों की सूची का उल्लेख करेगा जो वह उपयोग करने का प्रस्ताव करता है और काम के सुचारू निष्पादन के लिए आवश्यक सफाई सामग्री का उल्लेख करेगा।

**29. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान**

- 1) संविदा (बैंक और विक्रेता के बीच दर्ज किए जाने वाले) से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
- 2) एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- 3) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही और संविदा की मुद्रा के लंबित रहने के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद मध्यस्थता के कारण संबंधित है और विक्रेता को भुगतान संविदा के संदर्भ में किया जाता रहेगा।
- 4) करार (बैंक और विक्रेता के बीच किया जाएगा) असम में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

h) **भाग I, खंड V**  
**तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी**

क्रम संख्या	आवश्यक जानकारी	सेवा प्रदाताओं की टिप्पणियाँ	पेज नंबर
1	संगठन का नाम और पता (i) पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर (ii) उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कार्य किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर भी बताएं।		
2	संगठन का प्रकार - स्थापना की तिथि। पीएसए को सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियां होनी चाहिए।		
3	पीएसए का नाम		
4	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि) पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि।		
5	पीएसए को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन जमा करना चाहिए।		



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

6.	अखिल भारतीय उपस्थिति (असम को छोड़कर न्यूनतम तीन राज्य) दस्तावेज और शाखा/कार्यालय गुवाहाटी में। तीनों राज्यों में से प्रत्येक और असम राज्य के लिए अलग-अलग वैध पीएसएआरए लाइसेंस संलग्न करें।		
7.	पीएसए को 31 मार्च, 2026 तक कम से कम 07 वर्षों तक लगातार व्यवसाय (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) में होना चाहिए। पिछले सात वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्शाने वाली ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करें। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य के शुरू होने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, जैसे विवरण शामिल होंगे। एजेंसी को सात साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां जैसे निगमन प्रमाण पत्र, आईटी रिटर्न, पैन कार्ड, आदि संलग्न की जानी चाहिए।		
8.	संविदा की अनुमानित लागत जीएसटी को छोड़कर 1,26,00,000/- रुपये प्रति वर्ष है। एजेंसी को 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना आवश्यक है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें): (i) इसी प्रकार के तीन कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत कम से कम 50.40 लाख रुपये प्रति वर्ष नहीं है, अथवा (ii) इसी प्रकार के दो कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत कम से कम 63.00 लाख रुपये प्रति वर्ष नहीं होगी, या (iii) एक समान कार्य (सुरक्षा प्रदान करना) गार्ड) की लागत ₹100.80 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं है		
9.	तैनाती के लिए संगठन में उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों का विवरण (प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण-वैध कार्य आदेश)। i. सुरक्षा गार्ड		
10.	कम से कम तीन सरकारी संस्थाओं/निकायों/प्रतिष्ठानों (आवासीय परिसरों सहित) या प्रतिष्ठित संस्थानों (संलग्न किए जाने वाले कार्य आदेशों में) में मौजूदा तैनाती का अनुभव। पीएसए को तीन संदर्भ स्थल प्रस्तुत करने चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर रेफरी को भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए पीएसए के निष्पादन के बारे में गवाही देनी चाहिए। अनुलग्नक-5 के अनुसार विवरण प्रदान किया जा सकता है। कृपया कम से कम तीन ग्राहकों, अधिमानतः सेवा का लाभ उठाने वाले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों से प्रमाण पत्र संलग्न करें।		
11.	पिछले 3 वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में पीएसए का		



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

	वार्षिक कारोबार 1,26,00,000/- रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट द्वारा समर्थित।		
12.	बैंकरों का नाम और पता। कृपया अनुलग्नक 4 के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकरों से एक प्रमाण पत्र संलग्न करें		
13.	कंपनी पैना। अंतिम आयकर निकासी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जा सकती है। आयकर रिटर्न (i) 2023-24 (ii) 2024-25 (iii) 2025-26		
14.	पीएसए के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षी बुनियादी ढांचा और नेटवर्क होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के ऑपरेशन कर्मियों, मानव संसाधन आदि की वेतन पर्ची के रूप में इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। संगठनात्मक संरचना भी प्रदान करें।		
15.	ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।		
16.	ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।		
17.	ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
18.	सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
19.	पीएसए के पास अपने रोल पर कम से कम 100 सुरक्षा गार्ड (तैनात) होने चाहिए। (अनुलग्नक-मान्य कार्य आदेश)		
20.	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी या प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी भी सिविल सूट में शामिल है। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।		
21.	क्या फर्म/कंपनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि कटौती से संबंधित अन्य प्रावधानों या सेवा प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है (प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रावधानों/अधिनियमों के अनुपालन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य)		
22.	निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम-2005 के तहत पुलिस प्राधिकारियों से लाइसेंस। PSARA-2005 लाइसेंस। पीएसएआरए-2005 असम राज्य के लिए लाइसेंस। कृपया यह भी स्पष्ट करें कि तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन किया जा रहा है या नहीं।		



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

<b>24.</b>	पीएसए का गुवाहाटी में टेलीफोन और फैक्स के साथ एक कार्यालय होना चाहिए और गुवाहाटी में 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए (विवरण प्रदान करें)।		
<b>25.</b>	पीएसए में सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। सुरक्षा गार्डों को पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की तैनाती से पहले)		
<b>26.</b>	पीएसए के पास या तो प्रमाणपत्र होना चाहिए- आईएसओ 9001-2008 या एसए 8000 या ओएचएसएस 1800 प्रमाणन।		
<b>27.</b>	पीएसए को अपने बैंकर से ₹1,26,00,000/- का सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।		
<b>28.</b>	बैंक खाता (एमआईसीआर कोड और खाता संख्या) जहां फर्म द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों के संबंध में भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यह भी इंगित करें कि क्या फर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस)- आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है		



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**अनुलग्नक 1**

**संविदा के नियम और शर्तें**

1. प्रदान किए गए सुरक्षा कर्मी ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और सभी सांविधिक देनदारियों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा जैसे ईएसआई, पीएफ, कामगार मुआवजा अधिनियम, आदि। तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।
2. ठेकेदार बैंक के लिए ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों के संबंध में समय-समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970, ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम और विभिन्न अन्य अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों के तहत कवर किए गए सभी प्रासंगिक कानूनों और सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करेगा और उनका अनुपालन करेगा।
3. तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ठेकेदार द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से किया जाएगा और इस संबंध में एक वचन पत्र बैंक को प्रस्तुत किया जाना है।
4. ठेकेदार एक उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें कर्मियों की दिन-प्रतिदिन की तैनाती दर्ज की जाएगी। बिल उठाते समय, प्रत्येक महीने के दौरान लगे कर्मियों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट के अनुसार, दिखाया जाना चाहिए। बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्टर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा।
5. झूटी पर रहते हुए दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियां ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी।
6. सुरक्षा सेवाओं के सही और प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए और दोनों पक्षों के बीच सहमत असाइनमेंट निर्देशों के अनुसार पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भवनों/परिसरों में कोई अज्ञात/लावारिस / संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति न हो। परिसर में प्रवेश/निकास करने वाले वाहनों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें रजिस्टर में नोट किया जाना चाहिए। कॉलोनी में आने वाले किसी भी आगंतुक/अतिथि के लिए, सुरक्षा गार्ड पहले कॉलोनी निवासी से जांच कर सकता है और उसके बाद ही आगंतुक को अंदर जाने की अनुमति दे सकता है। कॉलोनी के अंदर या बाहर जाने वाली सभी सामग्री के साथ एक गेट पास या मालिक का एक पत्र होना चाहिए, जिसे आधिकारिक उद्देश्य के लिए दायर किया जा सकता है। एचआरएमडी और वेलफेयर एसोसिएशन की लिखित अनुमति के बिना कॉलोनी के अंदर किसी भी दान/बिक्री आदि व्यक्ति या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी ठेका श्रमिकों के विवरण को नोट करने के लिए एक अलग प्रवेश/निकास रजिस्टर रखा जाना चाहिए।
7. ठेकेदार और उसके कर्मचारी परिसर के उन क्षेत्रों को नुकसान, विनाश, अपशिष्ट या दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित और उचित सावधानी बरतेंगे, जिनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
8. संविदा के तहत अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात गार्डों का आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ठेकेदार के पास अपना स्वयं का प्रतिष्ठान और तंत्र होगा। इस तरह के प्रशिक्षण का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए और हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही, आरबीआई परिसर में तैनात किए जा रहे सभी गार्डों के संबंध में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भविष्य में यदि कोई सुरक्षा गार्ड बदला जाता है तो ऐसे गार्डों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

9. बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, ठेकेदार की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप, जैसा कि बैंक द्वारा की गई जांच के बाद स्थापित किया जा सकता है, इस तरह के नुकसान को ठेकेदार को देय राशि से पूरा किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।
10. ठेकेदार ऐसी सभी सुरक्षा सेवाओं, कार्यों, मामलों और प्रशासन, अधीक्षण और व्यवस्था के संचालन से जुड़ी चीजों को यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार और ऐसे निर्देशों के अनुसार, बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर जारी किया जाएगा और जो दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हैं।
11. बैंक को किसी भी व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा जिसे अवांछनीय या अन्यथा माना जाता है और इसी तरह ठेकेदार बैंक की पूर्व सूचना और अनुमोदन के साथ कर्मचारियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. ठेकेदार बैंक की सभी संपत्तियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
13. ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मियों को साफ-सुथरी वर्दी पहननी होगी और जूटी के दौरान हर समय फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।
14. लगे कर्मियों को मजबूत काया का होना चाहिए और अत्यंत अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए। उनकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पूर्व सैनिक के मामले में 50 वर्ष और न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास के साथ हिंदी/असमिया और अंग्रेजी का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। यदि सुरक्षाकर्मी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो बैंक को किसी भी व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा। ठेकेदार को ऐसे सभी मामलों में उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। गार्डों को बैंक द्वारा स्थापित/प्रदान किए जाने पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को स्वीकार करने और उनका उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए।
15. आठ घंटे की शिफ्ट आम तौर पर 0600 बजे से 1400 बजे, 1400 बजे से 2200 बजे और 2200 बजे से 0600 बजे तक होगी। लेकिन शिफ्ट का समय परिवर्तनशील है और आवश्यकताओं के आधार पर बैंक द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है। लंबे समय तक जूटी घंटे (लगातार 8 घंटे से अधिक) की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोहरे शुल्क, यदि कोई हो, के लिए बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में ठेकेदार के बिल से 1000/- रुपये का जुर्माना देय है। प्राधिकृत प्रबंधक को सुरक्षा गार्डों की सतर्कता और चौकसी की जांच करने के लिए महीने में एक बार रात के दौरान (सुबह 12 बजे से 04 बजे के बीच) और महीने में एक बार दिन के समय औचक यात्राओं का आयोजन करना चाहिए। इस आशय का एक अलग रजिस्टर परिसर में रखा जाना चाहिए और बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त के अनुसार न्यूनतम निर्धारित जांच करने में विफल रहने पर प्रति मिस्ट्र विजिट पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सीसीटीवी के माध्यम से उपरोक्त की बारीकी से निगरानी की जाएगी और झूठे दावों के कारण ठेका तत्काल समाप्त हो जाएगा।
16. ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रकोष्ठ, आरबीआई गुवाहाटी के समग्र पर्यवेक्षण और निर्देशन में काम करेंगे। वे प्रत्येक शिफ्ट में प्राप्त किए जाने वाले गार्डों की सेवाओं को निर्दिष्ट करेंगे।
17. भुगतान ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मियों द्वारा संचालित वास्तविक शिफ्टों के लिए मासिक आधार पर किया जाएगा और बैंक कॉलोनियों के कार्यवाहक द्वारा विधिवत सत्यापित उपस्थिति पत्रक के आधार पर, पी एंड एसओ और अन्य सहायक दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। बैंक द्वारा किसी भी खाते पर किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा लगाए गए श्रमिकों को समय पर उनका हक प्राप्त होना चाहिए। इसे देखते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
  - अ) ठेकेदार महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अपने हकदार वेतन का भुगतान करेगा। इसे बैंक द्वारा बिल के भुगतान से नहीं जोड़ा जाएगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- आ) भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा ईसीएस/एनईएफटी/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नकद में भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदाता प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी के लिए एक बैंक खाता खोलेगा।
- इ) ठेकेदार को अग्रिम रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बनाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला मासिक भुगतान और अगले महीने के सात कार्य दिवसों के भीतर प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। ठेकेदार को बिल जमा करने से पहले सुरक्षा गार्डों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और बिलों के साथ बैंक स्टेटमेंट आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।
- ई) महीने के लिए बिल जमा करते समय, ठेकेदार को निम्नलिखित को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:
- १) कर्मचारियों की मजदूरी (तारीख) को उनके बैंक खातों में जमा की गई
  - २) श्रमिकों से संबंधित ईएसआई अंशदान (चालान की प्रति संलग्न है)
  - ३) श्रमिकों से संबंधित ईपीएफ अंशदान (चालान की प्रति संलग्न है)
  - ४) यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित सभी सांविधिक श्रम कानूनों का अनुपालन कर रहा है।
- उ) सेवा प्रदाता उस महीने में किए गए जांचों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जैसा कि पैरा 15 में वर्णित है।
- ऊ) ठेकेदार को अनिवार्य रूप से प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को वेतन पर्ची जारी करनी होगी।
- ऋ) सरकार द्वारा सुरक्षा गार्डों (यदि कोई हो) के वेतन ढांचे में संशोधन के मामले में, बोलीदाता द्वारा दावा किए जाने पर लागू वृद्धिशील मजदूरी देय होगी।
18. बैंक संविदा के शुरू होने के 2 से 3 दिनों से पहले ठेकेदार द्वारा संविदा के तहत तैनात किए जाने वाले कर्मियों के प्रति सुरक्षा धारणा और कर्मियों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के बारे में ठेकेदार को जानकारी देगा और इस अवधि को संविदा के तहत भुगतान के उद्देश्य से ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित शिफ्ट के रूप में नहीं गिना जाएगा।
19. यदि ठेके के तहत तैनात ठेकेदार का कोई भी कार्मिक समय पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है और ठेकेदार इसके लिए समय पर उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ है, तो इसे अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा और शिफ्ट के लिए प्रति खाली स्थान 1000/- रुपये का जुर्माना ठेकेदार के बिल से घटाया जा सकता है। तैनात गार्डों को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए तैनात किया जाना चाहिए। बैंक 6 महीने से पहले 1000 रुपये प्रति गार्ड की राशि तक के लगातार बदलाव के मामले में ठेकेदार को दंडित कर सकता है (सिवाय इसके कि जब ऐसे परिवर्तन पी एंड एस सेल की पूर्व सूचना और सहमति से किए जाते हैं)। भारतीय रिज़र्व बैंक की ड्यूटी के लिए तैनात निजी सुरक्षा गार्डों का ब्यौरा साझा करना होगा।
20. यदि ठेकेदार के कार्मिकों के कदाचार/दुर्व्यवहार के कारण कोई सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होती है और बैंक द्वारा इसे सच माना जाता है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, घटना में शामिल पाए गए सुरक्षा गार्ड को तुरंत परिसर से हटा दिया जाएगा।
21. यदि ठेकेदार करार में निर्धारित कार्य शुरू करने/निष्पादित करने में विफल रहता है या असंतोषजनक निष्पादन देता है या सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो बैंक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
- अ) प्रति सप्ताह आदेश/करार की वार्षिक लागत का 1%, चार सप्ताह की देरी तक।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

आ) चार सप्ताह की देरी के बाद, बैंक संविदा को रद्द करने और करार को रोकने और खुले बाजार में अन्य ठेकेदारों से इस काम को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि कोई अंतर है तो डिफॉल्टर ठेकेदार से वसूल किया जाएगा और उसकी बयाना धन/प्रतिभूति जमा भी जब्त की जा सकती है।

22. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** एजेंसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगी, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान एजेंसी के कब्जे या ज्ञान में आ सकती है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगी। एजेंसी संविदा के विवरण को, सिवाय अपने दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक, निजी और गोपनीय मानेगी। एजेंसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगी। एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को एजेंसी की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में एजेंसी के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।
23. ठेकेदार द्वारा यहां निहित किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन या उल्लंघन की स्थिति में, एजेंसी की सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
24. ठेकेदार के कर्मियों के किसी भी कार्य के कारण किसी भी मुकदमेबाजी (उपभोक्ता अदालतों में उन लोगों सहित) से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता सीधे ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। संबंधित ठेकेदार के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे।
25. यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर के कार्य आदि कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। संविदा के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। संविदा के तहत किसी भी दायित्व का निष्पादन घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा को समाप्त कर सकता है।
26. संविदा के तहत अपनी देनदारियों और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार के पास अपनी लागत पर अपना स्वयं का प्रतिष्ठान / सेटअप / तंत्र आदि होगा।
27. यदि ठेकेदार एक पंजीकृत कंपनी है/दो से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी है, तो ऐसे सभी व्यक्ति संविदा की शर्तों को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग बैंक के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसे व्यक्ति उनमें से एक को हस्ताक्षर करने के अधिकार के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेंगे। बैंक के अनुमोदन के बिना कंपनी/साझेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

28. संविदा के दौरान, यदि किसी ठेकेदार के कार्मिक को किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है या बैंक कॉलोनीयों में संपत्ति का कोई नुकसान होता है, तो बैंक ठेकेदार की निष्पादन गारंटी (सुरक्षा जमा) को विधिवत जब्त करते हुए संविदा को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा।
29. ठेकेदार ऐसे किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा हस्तांतरित नहीं करेगा।
30. ठेकेदार ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए संविदा के तहत कार्यों/सेवाओं से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, क्षतिओं, हानियों और खर्चों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।
31. बोलीदाता को किसी अन्य नियोक्ता के संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी वर्तमान में संविदा श्रम के माध्यम से काम कर रही है।
32. सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का प्राधिकृत बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक इस संविदा के निष्पादन के एक भाग के रूप में व्यक्तियों को किसी भी क्षति/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पीएसए किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति और उसके कारण किए गए किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार होगा।
33. ठेकेदार दृश्य, श्रवण, सकल शारीरिक दोषों और संक्रामक रोगों के लिए सुरक्षा गार्डों की जांच करवाएगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। किसी भी संदेह के मामले में बैंक किसी की फिर से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। ड्यूटी के लिए केवल शारीरिक रूप से फिट कर्मियों को ही तैनात किया जाएगा। इस संबंध में उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है।
34. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा कर्मचारी किसी भी कर्मचारी संघ और संघ की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।
35. ठेकेदार निम्नलिखित सेवाओं पर किए गए सभी खर्चों को वहन करेगा अर्थात् सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी (नाम बैज, बेल्ट और जूते सहित), टॉर्च और सेल, लाठी/बल्लम और ऐसे अन्य गैजेट्स, सुरक्षा जांच बिंदुओं पर ड्यूटी चार्ट और रजिस्टर लिखने के लिए स्टेशनरी और आवश्यकताओं के अनुसार रिकॉर्ड रखना।
36. बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को आवासीय आवास या चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
37. संविदा की समाप्ति के बाद ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए बैंक किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी कर्मचारी नियोक्ता के संबंध को मान्यता नहीं देता है।
38. यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत एजेंसी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो इसे बैंक द्वारा एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
39. बोलीदाता इस संविदा के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बोलीदाता हर साल रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण की पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और नियोक्ता को उसके संबंध में ठेकेदार के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, जो उत्पन्न हो सकता है। ठेकेदार सभी लागू वैधानिक दायित्वों जैसे श्रम कानूनों आदि का भी पालन करेगा।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

40. बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान या अन्यथा संविदा समाप्त होने के बाद भी, जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो, प्रासंगिक रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करेगा।
41. बोलीदाता को मासिक बिलों के साथ पिछले महीने के वैधानिक बकाया राशि के भुगतान को दर्शाने वाले चालान के प्रमाण/प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
42. आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बोली लगाने वाले के पास गुवाहाटी शहर में अपनी त्वरित प्रतिक्रिया टीम (वाहन के साथ) होनी चाहिए।
43. आरबीआई, गुवाहाटी एजेंसी को देय राशि से स्रोत पर कर और समय-समय पर लागू अन्य सभी वैधानिक कर/सेवा कर/जीएसटी शुल्क आदि की कटौती करेगा।
44. यदि बैंक के ज्ञान में आता है कि एक ही कर्मचारी को लगातार दो ड्यूटी/शिफ्टों में तैनात किया गया है, तो बैंक एजेंसी को भुगतान से इनकार करने और प्रति उदाहरण 1000/- रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
45. एजेंसी इस तरह तैनात अपने कर्मचारियों के किसी भी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेगी और भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के व्यक्तियों और संपत्ति की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
46. एजेंसी अपने व्यक्तियों को इस तरह से तैनात करेगी कि उन्हें साप्ताहिक आराम मिले। काम के घंटे/छुट्टी, जिनके लिए उनसे काम लिया जाता है, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। एजेंसी सुरक्षा कर्मचारियों की अनुपस्थिति/छुट्टी/छुट्टी आदि के मामले में समान रूप से योग्य और सक्षम राहत प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। एजेंसी को अपने रोजगार में व्यक्तियों के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्यता प्राप्त त्योहारों, आराम के दिनों और धार्मिक या अन्य रीति-रिवाजों का उचित संबंध होना चाहिए। एजेंसी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी भी उपबंध में चूक या उल्लंघन करने या कोई सूचना प्रस्तुत करने या उक्त विनियमों और नियमों के उपबंधों के तहत कोई विवरण प्रस्तुत करने या भरने की स्थिति में, जो भौतिक रूप से किया गया है, वह किसी भी अन्य देयता के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को किसी भी व्यक्ति/ग्राहक द्वारा दावा की जा सकने वाली राशि का भुगतान करेगा।
47. एजेंसी संविदा की समाप्ति पर या संविदा की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी कर्मियों को भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के परिसर से हटा देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान/बाधा/समस्या स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा न करे।
48. एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखेगी, यदि इस तरह तैनात एजेंसी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो इसे चुनौती देना एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामला लड़ना होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान एजेंसी द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकृति के इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी पर कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व नहीं आता है और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
49. इस प्रकार तैनात कर्मियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी की सरकारी संपत्ति के किसी भी नुकसान की वसूली एजेंसी से की जाएगी और एजेंसी को उचित सूचना देने के बाद इसका निर्धारण किया



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, एजेंसी को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी से अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

50. यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखे और सुरक्षा से संबंधित मामले की रिपोर्ट तत्काल आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के नामित अधिकारी को करे। यह एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी संपत्ति और संपत्तियों, चल और अचल की सुरक्षा सुनिश्चित करे और यदि बेईमानी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को कोई नुकसान होता है, और/या एजेंसी या उसके कार्यकर्ता (ओं) की ओर से किसी भी चूक के कारण, एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को हुए नुकसान की मांग पर भरपाई करेगी। एजेंसी को भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के परामर्श से भी कदम उठाने चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जा सके।
51. एजेंसी उसके द्वारा तैनात कर्मियों से भर्ती शुल्क आदि के लिए कोई राशि नहीं लेगी।
52. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार तैनात किए गए व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी की किसी भी संपत्ति को बैंक के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति न दें।
53. प्रदान किए गए कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन कार्यों सहित कर्तव्यों की रक्षा और अन्य सुरक्षा उपायों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एजेंसी को प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्डों के प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं।
54. एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करेगी।
  - अ) एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
  - आ) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
  - इ) एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, जिसे एजेंसी के कर्मचारियों को शामिल करने की घटना में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
  - ई) एजेंसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारी को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी
  - उ) एजेंसी अपने उन कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगी जो बैंक परिसर के भीतर तैनात हैं
55. कर्तव्य और अनुशासन: सुरक्षा एजेंसी निम्नलिखित का पालन करने के लिए बाध्य होगी:
  - अ) भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के परिसर में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति देना या उसे अंजाम देना या अनुशासनहीनता पैदा करना।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- आ) अपने कर्मचारियों के रोजगार, बर्खास्तगी, बर्खास्तगी और पुन रोजगार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना और भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को इस संबंध में सभी घटनाक्रमों के बारे में सूचित करना होगा।
- इ) अपने कर्मचारियों के सभी बकाये का भुगतान करना और भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को इस संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त और क्षतिपूर्ति से मुक्त रखना है।
- ई) अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनकी उपस्थिति और वर्दी के लिए जिम्मेदार होना और भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी और उसके प्रतिनिधियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अच्छा आचरण, सहयोग और अनुशासन सुनिश्चित करना।
- उ) भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा अधिसूचित किए गए अपने कर्मचारियों के विरुद्ध सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
- ऊ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कर्मचारी वांछित सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हैं।
- ऋ) कोई भी पीएसए कर्मचारी शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करेगा। बैंक की संपत्तियों पर मौजूद रहते हुए तंबाकू, पान मसाला और इस तरह के पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। इस शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त पीएसए कर्मचारियों को आरबीआई की संपत्तियों से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
- ल) ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक स्मार्ट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है और प्रति उदाहरण के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
56. करार की समाप्ति पर, एजेंसी अपने कर्मचारियों को सभी सांविधिक भुगतान करने और अन्य सभी वैधानिक दायित्व और दायित्व बनाने और भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में उपयुक्त निर्वहन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी पर कोई दायित्व या दायित्व हस्तांतरित न हो
57. कोई भी घटना जो बैंक और उसकी परिसंपत्तियों को उच्च जोखिम में डालती है और एजेंसी और उसके कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार है, उसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा एजेंसी को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा।



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

अनुलग्नक 2

सुरक्षा एजेंसी के कार्य का दायरा

1. ठेकेदार को भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के मुख्य कार्यालय परिसर और अन्य संपत्तियों में चौबीसों घंटे सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होंगी। तैनाती से पहले सुरक्षा गार्डों के लिए विस्तृत ड्यूटी सूची प्रदान की जाएगी।
2. एजेंसी बैंक की संपत्तियों में रहने वाले कर्मचारियों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, हथियारों के साथ/बिना हथियारों के अतिक्रमण को रोकेगा, विभिन्न बिंदुओं पर रात्रि गश्त सहित निगरानी और निगरानी कार्य करेगा और एमओपी और आरबीआई, गुवाहाटी की संपत्तियों के अंदर आवारा जानवरों, असामाजिक तत्वों, अनधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश को रोकेगा।
3. सुरक्षा एजेंसी संविदा में शामिल बैंक संपत्तियों की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी। सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की चूक न हो।
4. गार्डों की तैनाती समय-समय पर बैंक के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार होगी और सुरक्षा एजेंसी उनके इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार होगी।
5. सुरक्षा गार्डों को आग बुझाने के लिए मौके पर उपलब्ध अग्निशमन सिलेंडर और अन्य अग्निशमन सामग्री की मदद से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाए। वे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में अग्निशमन कर्मचारियों की भी मदद करेंगे। आपात स्थिति में, तैनात सुरक्षा गार्ड भी भाग लेंगे और उन्हें ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
6. बैंक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को करार में शामिल किया जा सकता है। यह ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा।
7. सुरक्षा गार्डों द्वारा किया जाने वाला कार्य
  - i. सभी सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी शुरू होने के समय से दस मिनट पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगे और अच्छी तरह से बाहर निकलेंगे।
  - ii. बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग के बाद वे उस दिन दिए गए निर्देशों पर संदेह दूर करेंगे।
  - iii. सुरक्षा चौकियों पर तैनात सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहना चाहिए और वे अपने पदों पर उपलब्ध रहें। नियमित आधार पर गश्त की जाएगी और इसका समयवार रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
  - iv. गार्ड प्रवेश द्वार/निकास द्वारों के साथ-साथ कॉलोनी के अंदर की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे और किसी भी असामान्यता की सूचना तुरंत ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा अधिकारी को दी जाएगी।
  - v. ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड कर्मचारियों, निवासियों और मेहमानों, विशेष रूप से महिलाओं के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे।
  - vi. ड्यूटी पर रहते हुए, गार्ड संविदा श्रम के साथ एक विनम्र लेकिन दृढ़ व्यवहार बनाए रखेंगे, लेकिन काम करने में अनावश्यक बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए।
  - vii. गार्ड किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिनकी उन्हें जांच और रोकथाम करनी है।
  - viii. किसी भी संदेह के मामले में, गार्ड इसे अपने पास नहीं रखेगा लेकिन तुरंत सुरक्षा अधिकारी से मदद मांगेगा।
  - ix. ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड खुली आंखों के साथ काम करेंगे, दिमाग को ग्रहणशील करेंगे और असामान्यताओं का पता लगाने के लिए पहल करेंगे।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- x. कोई भी गार्ड, विशेष रूप से रात की पाली में ड्यूटी में कभी भी सोता हुआ नहीं मिलेगा। यदि ड्यूटी पर सोते हुए पाया जाता है, तो गार्ड को आरबीआई की सभी संपत्तियों से हटाने की आवश्यकता होगी और सुरक्षा एजेंसी को नियम और शर्तों में उल्लिखित दंड खंड के अनुसार आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा।
- xi. मेन गेट ड्यूटी पर तैनात गार्ड आने वाले कर्मचारियों/आगंतुकों/ठेकेदारों/मजदूरों आदि की जांच करेंगे। पुरुष ठेकेदारों और श्रमिकों के संबंध में तलाशी ली जाएगी। चोरी/चोरी से बचने के लिए घरेलू सहायिका (महिलाओं) के निजी सामान की भौतिक जांच की जा सकती है।
- xii. मुख्य द्वार पर गार्ड सभी आगंतुकों, वाहनों के लिए एक लॉगबुक और घरेलू सहायकों, ठेकेदारों, श्रमिकों आदि के मामले में एक अलग लॉग बुक रखेगा।
- xiii. किसी भी वस्तु को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित गेट पास के बिना नहीं निकाला जा सकता है, जैसा कि संविदा में निर्धारित किया गया है या स्टोर के इन-आउट मूवमेंट के लिए बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। उपर्युक्त अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर और टेलीफोन नंबर सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध होंगे।
- xiv. ड्यूटी पर तैनात गार्ड बैंक के परिसर में स्थित पार्किंग स्थलों में खड़े सभी वाहनों पर नजर रखेंगे।
- xv. गार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क पर रहने वाले कुत्ते और आवारा मवेशी परिसर में प्रवेश न करें।
- xvi. सुरक्षा गार्डों को आग बुझाने के लिए मौके पर उपलब्ध अग्निशमन सिलेंडर और अन्य अग्निशमन सामग्री की मदद से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाए। वे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में अग्निशमन कर्मचारियों की भी मदद करेंगे।
- xvii. आपात स्थितियों में, तैनात सुरक्षा कर्मचारी भी बैंक की आपदा योजना, यदि कोई हो, में परिभाषित अपनी भूमिका के अनुसार भाग लेंगे। ऐसी स्थितियों में सुरक्षा गार्डों को उनकी भूमिका के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- xviii. ड्यूटी पर तैनात कोई भी सुरक्षा गार्ड तब तक परिसर से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि उसका रिलीवर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर देता
- xix. बाद में बैंक द्वारा सलाह दिए गए किसी भी अन्य प्रावधान को करार में शामिल किया जा सकता है। यह एजेंसी के लिए बाध्यकारी भी होगा।
- xx. बैंक द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए दिया गया कोई अन्य संबंधित कार्य ।



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

अनुलग्नक 3

मूल्यांकन मानदंड

दो से अधिक तकनीकी रूप से पात्र विक्रेताओं की मूल्य बोली समान होने की स्थिति में, ठेका देने के लिए तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स पर विचार किया जाएगा

क्र. नहीं	मूल्यांकन मानदंड का विवरण	अंक	टिप्पणियां
a.	<b>त्वरित प्रतिक्रिया टीम की उपस्थिति:</b> (i) क्यूआरटी के लिए समर्पित वाहन - <b>05 अंक</b> (ii) क्यूआरटीमें कामकों की संख्या - <b>05 अंक</b> प्रति व्यक्ति 01 अंक है, जो अधिकतम 05 लोगों तक सीमित है। (iii) उपकरण ( <b>05 अंक</b> ): वॉकी टॉकी-02, टॉर्च-01, बल्लम-01, डेडिकेटेड मोबाइल-01	15 (i)+(ii)+(iii)	
b.	<b>गुवाहाटी में 24x7 नियंत्रण कक्ष की उपस्थिति:</b> (i) समर्पित कार्यक्षेत्र - <b>05 अंक</b> (ii) उपस्कर <b>05 अंक</b> - कंप्यूटर-01, वॉकी टॉकी-02, डेडिकेटेड लैंडलाइन-01, डेडिकेटेड मोबाइल-01 (iii) नियंत्रण कक्ष में समपत जनशक्ति - <b>05 अंक</b> - अधिकतम 02 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 2.5 अंक।	15 (i)+(ii)+(iii)	
c.	<b>सुरक्षा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा:</b> (i) गुवाहाटी में: <b>10 अंक</b> प्रोजेक्टर/टीवी के साथ क्लास/कॉन्फ़ रूम और न्यूनतम 15 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (04 अंक) पाठ योजनाएं- (02 अंक) प्रशिक्षण रिकॉर्ड (02 एमकेएस) प्रशिक्षक (02 अंक) (ii) गुवाहाटी में या उसके बाहर आउटडोर प्रशिक्षण सुविधा: <b>10 अंक</b> ग्राउंड-02 अंक, ड्रिल स्कायर 02 अंक, जिमनैजियम-02 अंक, अनआर्मर्ड कॉम्बैट-02 अंक, कंप्यूटर क्लासेस-02 अंक ।	20 (i) + (ii)	
d.	<b>अखिल भारतीय उपस्थिति:</b> निविदाकर्ता को राज्यों के वैध पीएसएआरए लाइसेंस जमा करने के लिए <b>01 अंक</b> आवंटित किया जाएगा, जो अधिकतम 10 राज्यों तक सीमित है	10	
e.	<b>अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति:</b> निविदाकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों (सार्क देशों के अलावा) के वैध प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक को <b>01 अंक</b> आवंटित किए जाएंगे, हालांकि, अधिकतम 10 देशों तक सीमित है	10	



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

f.	आरबीआई कार्यालयों में संतोषजनक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाकर्ता को 01 अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 तक सीमित है। आरबीआई के अन्य कार्यालयों में काली सूची में डाली गई एजेंसियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।	10	
g.	केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि जैसे बड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाकर्ता को 01 अंक दिया जाएगा।	10	
h.	निविदाकर्ता को पैन इंडिया में बड़ी आवासीय कॉलोनियों (प्रति कॉलोनी 200 से अधिक इकाइयों) में संतोषजनक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक को 01 अंक से सम्मानित किया जाएगा। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संतोषजनक सेवाओं को प्रमाणित करने वाली कॉलोनी का पत्र। अधिकतम 10 तक सीमित।	10	
	कुल अंक	100	

बोलीदाता के हस्ताक्षर:

बोलीदाता का नाम और पता:

टेलीफोन नंबर:



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

अनुलग्नक 4

बैंकर्स प्रमाणपत्र

बैंक के लेटरहेड पर

संदर्भ संख्या:

गोपनीय

सेवा में  
क्षेत्रीय निदेशक,  
मासंसप्रवि, भारतीय रिज़र्व बैंक  
गुवाहाटी, पान बाजार  
गुवाहाटी, पिन-781001

फ़ैक्स:  
ईमेल:

प्रिय महोदय,

**बैंकर्स प्रमाण पत्र: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और गुवाहाटी में इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए फर्मों/कंपनियों/पीएसए/प्रतिष्ठित संस्थाओं की नियुक्ति**

हम पुष्टि करते हैं कि मैसर्स मैसर्स ..... (पता ..... ) हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें उपरोक्त प्रकार के किसी भी संविदा कार्य को सौंपने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है जिसकी लागत INR लाख (रुपये ..... मात्र तक हो सकती है)।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)	
2	पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का कारोबार 2023-24 2024-25 2025-26	INR में
3	उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	हां/नहीं/रुपये तक.....
4	डीलिंग	
5	वह अवधि जिससे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।	
6	कोई अन्य टिप्पणी	



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

3. यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी कार्यालय पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

भवदीय ,

(हस्ताक्षर)

मुहर के साथ बैंक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट:

1. बैंकों के प्रमाण पत्र को सील किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी-781001 को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने हैं।

बैंक की मुहर



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

अनुलग्नक 5

ग्राहक की रिपोर्ट

(ग्राहक के लेटर हेड पर)  
फर्म का निष्पादन विवरण: मैसर्स  
यहां स्थित है:

1	कार्य आदेश/संदर्भ सं. और करार की तारीख	
2	संविदा का सकल मूल्य (रुपये में)	
3	संविदा शुरू होने की तिथि	
4	क्या सेवा करार के अनुसार की गई है और फर्म के साथ दर्ज किए गए कार्य का दायरा है	
5	विलंब के कारण (यदि कोई हो) और क्या कोई जुर्माना/परिसमापन क्षति, यदि कोई हो, फर्म	
6	<b>फर्म की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (ग्रेडिंग इंगित करें)</b>	
a	फर्म द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की गुणवत्ता	उत्तम /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
b	तकनीकी दक्षता/क्षमता	उत्तम /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
c	फर्म के भागीदारों/मालिकों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता	उत्तम /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
d	तैनात कर्मियों की अखंडता और विश्वसनीयता	उत्तम /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
e	कार्य के निष्पादन में व्यवहार, अनुसूची और समय का पालन	उत्तम /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
7	क्या फर्म मध्यस्थता के लिए गई थी?	
8	आपके विचार में कोई अन्य जानकारी हमें निर्णय लेने में मदद करेगी।	

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

स्थान:

तिथि:



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

अनुलग्नक 6

पिछले सात (07) वर्षों के दौरान निष्पादित इसी तरह के कार्यों का ब्यौरा

क्रम संख्या ।	पूरे पते और संपर्क के साथ ग्राहक का नाम नंबर/फैक्स आदि।	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य	कार्य पूरा होने की तारीख	कार्य प्रदान करने की तिथि	स्थिति

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें)

स्थान:

तिथि:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

ANNEXURE 7

**PROFORMA OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE**

**(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate technical bid purchased in the name of the issuing bank)**

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

The Regional Director  
Reserve Bank of India  
Guwahati-781001

Madam,

**Contract for Deployment of Private Security Guards at Bank's Main Office Premises, Residential Quarters at RBI Officers Colony, Christian Basti and Zoo Road at Guwahati**

WHEREAS

Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, (hereinafter called "the RBI") has awarded the contract for the captioned work(hereinafter called the "Contract") to M/s\_\_\_\_\_ (Name of the Contractor) (hereinafter called " the said Contractor" which expression shall include its successors and assigns). AND Whereas the contractor is bound by the said contract to submit to RBI a Performance Security for a total amount of ₹. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ (amount in figures and words) for the due fulfilment by the said contractor of the terms and conditions contained in the contract. We \_\_\_\_\_ (Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s \_\_\_\_\_, the Contractor, do hereby undertake to pay to the RBI an amount not exceeding ₹ \_\_\_\_\_ as Performance Guarantee for due fulfilment of the terms and conditions of the contract.

**NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH**

एक. We (Name of the Bank) do hereby agree with and undertake to RBI, their successors, assignees that in the event of RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations under the said conditions of the contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said contractor; we shall on demand by the RBI, pay without demur to RBI a sum of ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) or any lower amount that may be demanded by RBI.

Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

due performance of the obligations of the contractor under the said Contract, provided, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only).

दो. We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

तीन. We confirm that our obligation to RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between RBI and the contractor.

चार. This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI.

पाँच. We hereby further agree that –

अ) Any forbearance or commission on the part of RBI in enforcing the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by RBI to the contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only).

आ) Our liability under these presents shall not exceed the sum of ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only).

इ) Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations there under or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.

ई) This guarantee shall remain in force up to (60 days beyond the Defect liability period) provided that if so desired by RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.

उ) Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

In witness whereof, I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the day of (Month) (Year) being herewith duly authorized.



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

**For and on behalf of \_\_\_\_\_(Name of the Bank)**

**Signature of authorized Bank official**

Name:

Designation

Stamp/ Seal of the Bank

Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

Witness 1

Signature .....

Name .....

Address .....

(NB: This guarantee will require stamp duty as applicable in the state, where it is executed and shall be signed by the official whose signature and authority shall be verified).



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), गुवाहाटी

गुवाहाटी में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और इसकी अन्य संपत्तियों पर निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए फर्मों/कंपनियों/पीएसए/प्रतिष्ठित संस्थाओं की नियुक्ति

भाग II

आरबीआई/गुवाहाटी/एचआरएमडी/

एजेंसी का नाम :

पता:

लैंडलाइन और मोबाइल



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी  
Human Resource Management Department, Guwahati

भाग II

वित्तीय बोली/मूल्य बोली

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और गुवाहाटी में इसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए फर्मों/कंपनियों/पीएसए/प्रतिष्ठित संस्थाओं की नियुक्ति

(केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के उद्देश्य से पढ़ा जाना चाहिए न कि पीडीएफ अपलोड करने के लिए)

तालिका 1

क्रम संख्या I	विवरण	माप की इकाई	नहीं। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या	दर (₹)	कुल राशि (₹)
A	B	C	D	E	F
1.	मूल न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन, ईडीएलआई, और रिलीवर शुल्क सहित बोनस	मासिक (30 दिन)	30 निजी सुरक्षा गार्ड	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
2.	01 (एक) महीने के लिए सेवा शुल्क (बीमा शुल्क (कामगार मुआवजा नीति, और तृतीय-पक्ष देयता नीति), समान शुल्क, उपकरणों की लागत या लागू होने वाले किसी भी अन्य खर्च (तालिका I के क्रम संख्या 1 में दर्शाए गए कुल जनशक्ति शुल्क का प्रतिशत)	मासिक (30 दिन)	लागू नहीं	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
3.	1 (एक) महीने के लिए ठेकेदार का लाभ (तालिका I के क्रम संख्या 1 में दर्शाए गए कुल जनशक्ति शुल्क का प्रतिशत)	मासिक (30 दिन)	लागू नहीं	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
4.	01 (एक) महीने के लिए कुल लागत (1+2+3)				



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

नोट:-

- i) कुशल और अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की गणना नवीनतम मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित के अनुसार की जाएगी।
- (ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्र सरकार), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम आदि सहित वेतन में शामिल वेतन।
- iii) गुवाहाटी को एरिया-बी के अंतर्गत रखा गया है

**तालिका 2:** मजदूरी के वैधानिक घटक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये परिवर्तन के अधीन हैं और निविदाकर्ता द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1	12%	ईपीएफ योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 12%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
2	0.5%	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
3	0.5%	ईडीएलआई योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
4	3.25%	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता का योगदान जिसमें व्यवस्थापक शुल्क शामिल हैं, यदि कोई हो, तो मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का @ 3.25%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या ईएसआईसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं)
5	8.33%	बोनस @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 8.33%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं है।)

**निर्देश और शर्तें: -**

- 1) सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किए जाने पर मजदूरी संशोधनों के अधीन होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 मार्च, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से वीडिए में वृद्धि को श्रेणीवार वेतन गणना में शामिल किया गया है और वीडिए की कोई भी और वृद्धि मासिक समेकित मजदूरी का हिस्सा बन जाएगी।



**मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी**  
**Human Resource Management Department, Guwahati**

- 2) मासिक बिल जमा करने पर उपरोक्त उद्धृत दरों पर बैंक द्वारा जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी बैंक को जमा किए गए मासिक चालान में समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना के माध्यम से जीएसटी @ 18% या संशोधित रूप में वसूल करेगी।
- 3) उद्धृत दरों में रिलीवर शुल्क शामिल होना चाहिए। उपरोक्त वित्तीय बोली में 30 दिनों के लिए दरों को उद्धृत किया जा सकता है। रिलीवर के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 4) एजेंसी द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क संविदा की पूरी अवधि के दौरान तय रहेगा।
- 5) कुल जनशक्ति शुल्क के 3% से कम सेवा शुल्क का उद्धरण देने वाले बोलीदाता की निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
- 6) बोलीदाता को केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले जीएसटी को छोड़कर स्थानीय कानूनों, कार्य संविदा कर आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और ठेकेदार सरकार को उक्त करों का भुगतान करेगा और बैंक ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बिल में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7) बैंक अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम के आर्थिक सूचकांकों और अन्य इनपुट लागतों आदि के संबंध में दरों की तर्कसंगतता स्थापित करेगा, तदनुसार, बैंक अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता को उस विवरण और औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसके आधार पर उद्धृत दरें आई हैं।
- 8) एजेंसी को मासिक वेतन पर अपने कर्मचारियों से संबंधित भुगतान के एनईएफटी विवरण के साथ वेतन पर्ची प्रदान करने की आवश्यकता है।
- 9) पीपीएफ/ईएसआई/ईपीएफ आदि के भुगतान का समर्थन करने वाले दस्तावेज बिलों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों (भवन संचालन) (कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए) के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, और अन्य अनिवार्य शुल्क अर्थात् ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

मैं/हमने ई-टेंडर के नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है और उनसे सहमत हूँ।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

तिथि:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)